राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सिरोही

जिला आपदा प्राधिकरण बैठक दिनांक 27.02.2023

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर के पत्रांकः अ0शा0टीप कमांकःएफ. 4(1)आ.प्र.एवं स.आ./पेय./परि./2021/470–80 दिनांक 12.01.2022 एवं इस कार्यालय के पत्रांकः प. 14(12)(364) आ.प्र.एवं सहा./पेयजल/2021/267 दिनांक 21.03.2022 की अनुपालना में जिले में सम्वत् 2078 में अभावग्रस्त घोषित जिलो में अभाव अवधि के दौरान आपातकालिन पेयजल व्यवस्था करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सिरोही एवं उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित एवं प्रमाणित पेयजल परिवहन के प्राप्त बिलों का भुगतान करने हेतु निम्नानुसार बिल इस कार्यालय को प्राप्त हुये हैं । शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर के आदेश कमांकः 6368–81 दिनांक 02.05.2022 अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में करवाये जा रहे आपातकालिन पेयजल परिवहन की तिथि 31.07.2022 तक बढाई जाने से दिनांक 31.07.2022 तक के बिलो का एसडीआरएफ अन्तर्गत भुगतान करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कमेटी द्वारा अनुमोदन किया जाना हैं–

क.सं.	नाम तहसील	कुल प्राप्त बिल	कुल ट्रिप	कुल प्राप्त बिल की राशि
1	सिरोही	151	28738	13866175
2	शिवगंज	115	19892	10103000
3	रेवदर	69	13340	7003500
4	पिण्डवाडा	69	15096	7925400
5	योग :–	**404**	**77066**	**3,88,98,075/–**

पेयजल परिवहन करवाये गये ग्रामों की सूची इसके संलग्न हैं ।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रस्तावों का उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित होने एवं एस.डी.आर.एफ. नोमर्स अनुसार होने से आज दिनांक 27.02.2023 को आयोजित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में समीक्षा कर स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया जाता हैं ।

27.02.23

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सिरोही

प्रमुख जिला परिषद सिरोही
सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सिरोही

जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही
सदस्य, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सिरोही

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
सदस्य, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सिरोही

अधीक्षण अभियन्ता (सा.नि.वि.)
सिरोही

अधिशासी अभियन्ता, (जल संसाधन)
सिरोही

अति. जिला कलक्टर (सहायता)
सिरोही

आमंत्रित

मननीय सांसद महोदय
(लोक सभा सदस्य)

माननीय विधायक महोदय
(विधान सभा सदस्य)
सिरोही

माननीय विधायक महोदय
(विधान सभा सदस्य)
पिण्डवाडा–आबू

माननीय विधायक महोदय
(विधान सभा सदस्य)
रेवदर

अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
सिरोही

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सिरोही

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, सिरोही

[illegible]
राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सिरोही

–0–

सम्वत् 2078 में अभावग्रस्त घोषित जिलो में अभाव अवधि के दौरान आपातकालिन पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये अधीक्षण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही से प्राप्त बिलो का अनुमोदन करने हेतु **जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिककरण बैठक दिनांक 27.02.2023** में उपस्थित जनप्रतिनिधियो एवं अधिकारियों का विवरण

क.सं.	नाम जनप्रतिनिधि / एवं अधिकारी	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	अर्जुनराम जिला प्रमुख	9649152238	[signature]
2	Devaram Chaudhary Addl. S.P.	9414365176	[signature]
3	Dr. T. Shubhamangala	9066564051	[signature]
4	प्रमोद दवे ACEO Z.P.	9001490537	[signature]
5	चन्द्रा शिलांग XEN, WRD	7665349444	[signature]
6	डा. महेश गौतम Dy CM&HO (FW)	9413503178	[signature]
7	डा. जगदीश बरबड़ J.D AHD	9636868876	[signature]
8	रविन्द्र गर्ग, SE PHED	9414372529	[signature]
9	Kapil Verma SE, PWD	9001857297	[signature]
10			
11			
12			
13			
14			

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोही

कमांक / प.14(12)(364)आ.प्र.एवं सहा. / पेयजल / 2021 / 135 दिनांक 01-03-2023

बैठक कार्यवाही विवरण

विषयः– **सम्वत 2078 में अभाव अवधि के दौरान पेयजल परिवहन की व्यवस्था के संबंध में**

–0–

सम्वत 2078 में अभाव अवधि के दौरान जिले आपातकालिन पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही द्वारा जिले में करवाये गये पेयजल परिवहन के बिल इस कार्यालय को उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित एवं प्रमाणित शुदा भुगतान हेतु प्राप्त होने से दिनांक 27.02.2023 को सांय 4.30 बजें जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक जिला कलक्टर महोदय, सिरोही की अध्यक्षता में जिला कलक्टर कार्यालय के सभा भवन में आहूत की गई । बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न प्रपत्र " ए" पर अंकित हैं –

बैठक में सर्व प्रथम जिला कलक्टर महोदय सिरोही द्वारा जिले में करवाये गये पेयजल परिवहन एवं शेष रहे बिलों की स्थिति अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही से प्राप्त की गई । अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही द्वारा अवगत कराया कि अब कोई पेयजल परिवहन का बिल भुगतान से बकाया नही हैं ।

शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर के के आदेश कमांक 6368–81 दिनांक 02.05.2022 अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में करवाये गये गये आपातकालिन पेयजल परिवहन की तिथि 31.07. 2022 तक के बिलों का भुगतान करने के निर्देश होने से दिनांक 31.07.2022 तक के प्राप्त बिलों का एस.डी.आर.एफ. अन्तर्गत मद से भुगतान करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कमेटी द्वारा निम्नानुसार अवलोकन कर सर्वसहमति से अनुमोदन किया गया ।

क.सं.	नाम तहसील	कुल प्राप्त बिल	कुल ट्रिप	कुल प्राप्त बिलों की राशि
1	सिरोही	151	28738	13866175
2	शिवगंज	115	19892	10103000
3	रेवदर	69	13340	7003500
4	पिण्डवाडा	69	15096	7925400
5	योगः–	404	77066	38898075

(के.आर. खौड)
अति. जिला कलक्टर एवं सचिव
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सिरोही

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1– माननीय सांसद महोदय (लोक सभा सदस्य) सिरोही / जालोर
2– माननीय विधायक महोदय, सिरोही / पिण्डवाडा–आबू / रेवदर
3.– जिला प्रमुख महोदय, सिरोही,
4– जिला पुलिस अधीक्षक महोदया,सिरोही
5– मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया, जिला परिषद, सिरोही
6– अति. जिला कलक्टर, सिरोही,
7– उपखण्ड अधिकारी, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाडा / आबूरोड / आबूपर्वत
8– तहसीलदार, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाडा / देलदर / आबूरोड
9– विकास अधिकारी,पंचायत समिति,सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाडा / आबूरोड
10– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही
11– अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 सिरोही,
12– अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही
13– अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही,
14– संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सिरोही
15– निजी सहायक, जिला कलक्टर महोदय, सिरोही

अति. जिला कलक्टर एवं सचिव
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सिरोही